

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत्त-अ,
कोटा।

...अपीलार्थी

बनाम
मैसर्स फोटो मेक कलर्स प्रा0 लि0
289, शॉपिंग सेन्टर, कोटा।

...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक
श्री बी.एल. भोजवानी
अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 26.02.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर केम्प कोटा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 25/सीएसटी/10-11/कोटा में पारित आदेश दिनांक 17.11.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, वृत्त अ कोटा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2010 अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम 1994" कहा जायेगा) की धारा 30, 37, 58 के अन्तर्गत आरोपित कर रूपये 2,77,140/- एवं ब्याज रूपये 2,32,837/- कुल राशि रु. 5,09,977/- को विवादित करने पर व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुये प्रत्यर्थी व्यवहारी की मांग राशियों को अपास्त किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्त का मूल कर निर्धारण कर चुका एवं कर मुक्त विक्रय के आधार पर सम्पूरित किया गया था। बाद में आडिट द्वारा जांच करने पर ज्ञात हुआ कि व्यवहारी ने 2000-2001, 01-02, 02-03, की अवधि में 21 एसटी-18ए के माध्यम से राज्य के बाहर से 24,25,046/- रूपये के फोटो पेपर एवं फोटो से संबंधित रसायनों का आयात किया है जो राज्य में कर योग्य है। कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि व्यवहारी द्वारा ग्राहकों द्वारा दी गई रील को केमीकल आदि से साफ करके फोटो तैयार किये जाते हैं अथवा ग्राहकों के आदेशानुसार फोटोग्राफी करके फोटो तैयार किये जाकर उन्हें दिये जाते हैं। इस प्रकार आयातित सामान वस्तु के रूप में ग्राहक को स्थानान्तरित होता है जिसका वह मूल्य वसूल करता है। अतः इस पर कर देय है। इसलिए उन्होंने इस राशि में खर्च व लाभ जोड़ते हुए 30,12,392/- रूपये पर 9.2 प्रतिशत से 2,77,140/- रूपये का कर, 2,32,837/- रूपये का ब्याज कुल

2/11/

5,09,977/- रुपये की मांग कायम की जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2011 द्वारा अपील स्वीकार करते हुये मांग अपास्त की है जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हुई है।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने विधिसम्मत करारोपण किया था। अपीलीय अधिकारी ने न्यायिक दृष्टांतों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं लेते हुये निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। इन्होंने अपने समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील सं. 1592/2010 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मै. स्पेक्ट्रम फोटो कलर लैब, जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2012 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया। इन्होंने अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने 2000-2001 से 2002-2003 तीन साल के आदेश एक ही आदेश पारित किये हैं जो विधिसंगत नहीं है। अतः आरोपित मांग कम की जावे। उनका तर्क है कि 2000-2001 एवं 2001-2002 के कर निर्धारण कालातीत हो चुके हैं, इसलिए इस अवधि हेतु कायम मांग निरस्त योग्य है। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलान्त द्वारा ग्राहकों की पसन्द के आधार पर फोटोग्राफी की जाती है और उनके फोटो तैयार कर ग्राहकों को दिये जाते हैं। इस कार्य में उसके द्वारा ग्राहकों की सेवा की जाती है न कि वस्तु का क्रय-विक्रय किया जाता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य के बाहर से आयात किये गये फोटो पेपर एवं फोटो केमिकल्स पर आरोपित कर एवं ब्याज विधिसंगत नहीं होने से निरस्त योग्य है। उन्होंने अपने तर्क की पुष्टि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स रेनबो कलर लेब बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. के प्रकरण में पारित निर्णय (2000) 118 एसटीसी पेज 9, कर्नाटका उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 134 एसटीसी पेज 570, 121 एसटीसी पेज 175, एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 124 एस टी सी पेज 257 के उद्धरण प्रस्तुत किये। इन्होंने यह भी कथन किया कि स्पेक्ट्रम वाले प्रकरण में ए.सी.सी. वाले प्रकरण को आधार बनाया है जबकि यह रेनबो कलर लैब के मामले को ओवररूल नहीं करता है। इन्होंने अपील खारित करने हेतु निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार हैं :-

7. विभागीय पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलान्त ने 2000-2001 में 54,61,727/- रुपये , 2001-2002 में 32,30,018/- रुपये एवं 2002-2003 में

33,24,769/- रुपये कुल 1,20,16,514/- रुपये का कर मुक्त विक्रय करना दर्शाया है और इसी के आधार पर कर निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं। अपीलान्त ने 2000 से 2003 की अवधि में कुल 24,25,046/- के फोटो पेपर एवं केमिकल्स का एसटी-18ए के समर्थन में आयात किया है। उसके द्वारा आलौच्य अवधि में विभिन्न ग्राहकों के द्वारा करवाई गई फोटोग्राफी एवं ग्राहकों द्वारा खींची गई रील के फोटो प्रिन्टस तैयार कर ग्राहकों को दिये गये हैं और उनसे इसके बदले फोटो की साईज एवं क्वालिटी के आधार पर प्रति फोटो कीमत वसूल की गई है। अपीलान्त ने इन फोटो को तैयार करने में एसटी-18ए घोषणा पत्र से आयात किये गये 24,25,046/- रुपये के फोटो पेपर एवं केमिकल्स का उपयोग किया है। इस प्रकार ग्राहकों से फोटो की वसूल की गई राशि में अपीलान्त की सर्विस, कला एवं उक्त फोटो पेपर व केमिकल्स की कीमत शामिल है।

8. विचाराधीन प्रकरण में प्रथम विवादित बिन्दु यह है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से आयात किये गये फोटो पेपर एवं फोटो केमिकल्स पर करारोपण किया जाना विधिसम्मत है या नहीं। प्रत्यर्थी का इस संबंध में तर्क है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स रेनबो कलर लेब बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. के प्रकरण में पारित निर्णय (2000) 118 एसटीसी पेज 9 में यह ठहराया जा चुका है कि ऐसे मामलों में कर देयता नहीं बनती है जबकि विभाग अपीलार्थी का यह तर्क है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की लार्जर बेंच द्वारा एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनी बनाम आयुक्त (2001) 124 एसटीसी 59 (एस.सी.) में उपरोक्त रेनबो कलर लेब वाले मामलों से भिन्न निर्णय पारित किया है जिसके आधार पर कर देयता बनती है। इस संबंध में एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनी बनाम आयुक्त (2001) 124 एसटीसी 59 (एस.सी.) के मामलों में निर्णय दिनांक 25.01.2001 का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

Even though in our opinion the decision relating to levy of sales tax would have, for reasons to which we shall presently mention, no application to the case of levy of customs duty, the decision in Rainbow Colour Lab case (2000) 118 STC 9 (SC), (2000) 2 SCC 385 (SC) requires consideration.

The Forty-sixth amendment was made precisely with a view to empower the State to bifurcate the contract and to levy sales tax on the value of the material involved in the execution of the works contract, notwithstanding that the value may represent a small percentage of the amount paid for the execution of the works contract. Even if the dominant intention of the contract is the rendering of a service, which will amount to a works contract, after the Forty-sixth Amendment the State would now be empowered to levy sales tax on the material used in such contract. The conclusion arrived at in in Rainbow Colour Lab case (2000) 118 STC 9 (SC), (2000) 2 SCC 385 in our opinion, runs counter to the express provision contained in Article 366 (29A) as also of the Constitution bench decision at this court in Builders Association of India v. Union of India (1989) 73 STC 370, (1989) 2 SCC 645.

उपर्युक्त निर्णय में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संविधान के 46 वे संशोधन के पश्चात कार्य संविदा के निष्पादन में उपयोग किये गये माल (वस्तु का अन्य रूप में) का सम्पत्ति में अन्तरण होने पर उसकी बिक्री मानते हुए उस बिक्री पर कर आरोपित किया जाना पूर्णतया उचित है, चाहे कार्य संविदा के निष्पादन में उपयोग किये गये माल की मात्रा कितनी ही कम क्यों न हो। माननीय न्यायालय ने यह भी निर्णित किया कि किसी कार्य संविदा का मुख्य उद्देश्य सेवायें प्रदान करने का होने पर भी उस कार्य संविदा के निष्पादन में विनियोजित (Appropriated) माल की बिक्री मानते हुए कर आरोपित किया जाना विधिसम्मत है। इसके साथ-साथ माननीय न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि खण्डपीठ द्वारा मै. रेनबो कलर लैब (118 एसटीसी 9) के मामलों में दिया गया निर्णय पुनः विचार किये जाने योग्य है क्योंकि यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 366(29ए) के स्पष्ट प्रावधान एवं माननीय शीर्ष न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा ऐसोसिएटेड कम्पनी ((2001) 124 एसटीसी 159) के मामलों में दिये गये निर्णय के अनुरूप नहीं है। इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि विचाराधीन प्रकरण में कर देयता बनती है।

9. विचाराधीन प्रकरण में द्वितीय विवादित बिन्दु यह है कि कर निर्धारण आदेश समय सीमा की अवधि में पारित किया गया है या नहीं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 20.11.2004 में व्यवहारी का वित्तीय वर्ष 2002-03 का कर निर्धारण आदेश शून्य मांग में पारित किया गया है। आदेशिका दिनांक 27.05.2005 के अनुसार लेखा परीक्षा के आक्षेप के आधार पर राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 की धारा 30, 58 एवं 65 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई है अर्थात् प्रकरण धारा 30 के अन्तर्गत escaped assessment मानकर कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस जारी किया गया है। आदेश दिनांक 13.07.2010 द्वारा कर दायित्व निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2002-03 का कर निर्धारण आदेश धारा 30 के अन्तर्गत प्रारम्भ करने के पश्चात कर निर्धारण दिनांक 13.07.2010 को पारित किया गया है। अधिनियम 1994 की धारा 30(3) के अनुसार कर निर्धारण वर्ष से 8 वर्ष की समय सीमा में कर निर्धारण आदेश पारित किया जा सकता है। विचाराधीन प्रकरण में कर निर्धारण आदेश वित्तीय वर्ष 2002-03 का दिनांक 13.07.2010 को पारित किया गया है जो समय सीमा में है परन्तु कर निर्धारण के समय वर्ष 2000-01 व 2001-02 का टर्न ओवर भी वित्तीय वर्ष 2002-03 में सम्मिलित प्रतीत होता है जबकि वित्तीय वर्ष 2000-01 व 2001-02 से सम्बन्धित टर्न ओवर के सम्बन्ध में करारोपण की समय सीमा दिनांक 13.07.10 को समाप्त हो चुकी थी। इस दृष्टिकोण से प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है कि वे व्यवसायी का कर दायित्व मानते हुये वर्ष 2002-03 से सम्बन्धित टर्न ओवर पर ही नियमानुसार करारोपण करें।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाता है कि वे व्यवसायी का कर दायित्व मानते हुये वर्ष 2002-03 से सम्बन्धित टर्न ओवर पर ही नियमानुसार करारोपण करें।

11. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य